न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/91

भंवरलाल आत्मज रामचन्द्र जाति माली निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

––अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाशी बाई पत्नी रामभरोस जाति माली निवासी महिला कुआं के पास नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. भैरूलाल आत्मज स्व0 रामचन्द्र जाति माली निवासी पीपली चौराया नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. पप्पूलाल आत्मज रामचन्द्र जाति माली निवासी पीपली चौराया नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. दुर्गालाल आत्मज रामचन्द्र जाति माली निवासी पीपली चौराया नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. भरोसी बाई पत्नी गोरधन जाति माली निवासी ग्राम नया बरधा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0
6. जमना बाई पत्नी मोहन जाति माली निवासी पीपली चौराया नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा
7. मसरूल हसन आत्मज हाजी मोहम्मद यासीन जाति मुसलमान निवासी गजरोला शिवा जिला बिजनौर उत्तरप्रदेश
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री रूपेश श्रंगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री अब्दुल वहीद, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से।
3. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 से 6 की ओर से।
4. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पो. संख्या 7 की ओर से।

अपील संख्या 2025/91
भंवरलाल बनाम कैलाशी बाई वगै0

निर्णय

दिनांकः 31.07.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 23/2016 (gcms no. 2016/00134) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि वादिनी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की आराजी ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा संख्या 1849 रकबा 0.50 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1856 रकबा 0.75 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर है। वादपत्र में सजरा परिवार अंकित किया। वादग्रस्त आराजी में वादीया का 1/7 हिस्सा निहित है तथा उक्त 1/7 हिस्से पर वादिया निरन्तर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। परन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। वादीया को प्रतिवादीगण उसके हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में काश्त करने में दखलंदाजी करते रहते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वाद कारण दिनांक 06.1.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा उसके खाते व कब्जे काश्त की 1/7 हिस्से की भूमि को काश्त करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ है। फूलांबाई विधवा पत्नी रामचन्द्र का स्वर्गवास हो गया है और वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 उसके कायम मुकामान है जिन्हें वाद में वादीनी तथा प्रतिवादीणण 1 लगायत 5 बनाया गया है। सहखातेदार भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र ने उक्त वाद प्रस्तुत करने के पूर्व अपने खाते एवं कब्जे की 1/7 हिस्से की आराजी को प्रतिवादी संख्या 6 मसरूल हसन आत्मज हाजी मोहम्मद यासीन जाति मुसलमान निवासी गजरोला शिव जिला बिजनोर उत्तर प्रदेश को खरीदने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अतः वादपत्र प्रस्तुत करन निवेदन है कि वादिया के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि– (1) ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा की वादपत्र की मद संख्या 1 में से वादिनी का 1/7 हिस्सा आराजी विभाजित की जाकर उसके 1/7 हिस्से में अंकित कर पृथक से 1/7 हिस्से पर कब्जा दिलवाया जावे एवं उसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जावे। (2) प्रतिवादीगणों के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादिनी के उसके खाते एवं कब्जे काश्त की 1/7 हिस्से की आराजी को काश्त करने में न तो स्वयं ही बाधा उत्पन्न करें और ना ही उक्त कृत्य अपने किसी ऐजेन्ट या प्रतिनिधि से करावें, तथा वादीनी को उसके 1/7 हिस्से की आराजी को शान्तिपूर्व काश्त करने देवे। वाद व्यय दिलाया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय उचित समझे वह भी प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2025 को वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 6 को 1/8 हिस्से का तथा वादीनी को 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को 5/6 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने का निर्णय पारित किया गया तदनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु तहसीलदार लाडपुरा को आदेश किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2025 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट का वाद वर्णित आराजी में हक एवं अधिकार तथा 1/56 हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय व डिक्री से अपीलांट के हित प्रभावित हुये हैं। इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री से पीडित होने के कारण अपीलांट यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान फरमाई जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय सादिर फरमाने की कृपा करें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान फरमाकर अपील दर्ज रजिस्टर फरमाई जावे तथा अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित फरमाने की कृपा करे।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधी न्याय एंव तथ्यो के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादीनी रेस्पो० संख्या 1 तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादी रेस्पो० संख्या 7 स्वीकार फरमाकर प्रतिवादी रेस्पो० संख्या 7 मसरूल को 1/8 हिस्से का तथा शेष भूमि में वादीनी रेस्पो० संख्या 1 कैलाशी बाई तथा रेस्पो० संख्या 2

लगायत 6 को प्रत्येक को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि वाद वर्णित ग्राम नान्ता तह० लाडपुरा जिला कोटा की वाद वर्णित ख०नं० नम्बर 1849 रकबा 0.50 है० एवं ख0नं0 1856 रकबा 0.75 है० कुल 2 किता की रकबा 1.25 है० भूमि अपीलांट भंवरलाल व रेस्पो० संख्या 1 लगायत 6 तथा उनकी माता श्रीमती फूलां बाई के शामलाती खाते में हिस्सा बराबर से दर्ज थी। उक्त भूमि में प्रत्येक सह खातेदार का 1/8 हिस्सा दर्ज था। अपीलांट भंवरलाल द्वारा अपने निहित 1/8 हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.04.2014 से प्रतिवादी रेस्पो० संख्या 7 मसरूल हसन को बेचान कर दी थी। इस कारण बेचान के उपरांत अपीलांट भंवरलाल के 1/8 हिस्से की भूमि रेस्पो० संख्या 7 मसरूल हसन के खाते दर्ज हो गई थी। इसके उपरांत अपीलांट की माता श्रीमती फूलां बाई का स्वर्गवास होने से अपीलांट का उक्त आराजी में उनके निहित हिस्सा 1/8 में दीगर भाई बहनो के साथ हक व हिस्सा निहित था। अपीलांट का अपनी माता फूलां बाई के 1/8 हिस्सा भूमि में 1/7 हिस्सा अर्थात संपूर्ण आराजी में 1/56 हिस्सा निहित था। इसके बावजूद वादीनी रेस्पो० संख्या 1 ने माता श्रीमती फूला बाई के स्वर्गवास के उपरांत प्रस्तुत उक्त विभाजन के दावे में अपीलांट का हक एवं अधिकार तथा हिस्सा निहित होने के बावजूद दुर्भावनापूर्वक आशय से पक्षकार नहीं बनाया तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर वादी को पक्षकार बनाये बिना ही उक्तदावा प्रस्तुत किया है अधीनस्थ न्यायालय ने भंवरलाल अपीलांट के श्रीमत फूला बाई के पुत्र होने का तथा उनके निहित हिस्से में अपीलांट का हक व अधिकार होने के बावजूद अपीलांट भंवरलाल के हिस्से का निर्धारण किये बिना ही निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। विवादित रूप से अधीनस्थ न्यायालय में यह तथ्य प्रमाणित था कि अपीलांट कुल चार भाई क्रमशः भंवरलाल, भैरूलाल, दुर्गालाल, पप्पूलाल तथा तीन बहिने कैलाशी बाई, भरोसी बाई, जमना बाई तथा माता फूलां बाई थी। वादीनी अपीलांट ने वाद कम 2 में पारिवारिक सजरे में स्वयं उक्त तथ्य उल्लेखित किये है। चूंकि माता श्रीमती फूला बाई का दावा प्रस्तुती से पूर्व स्वर्गवास हो गया था इस कारण अपीलांट उनका पुत्र व कायम मुकाम होने से उनके निहित 1/8 हिस्सा भूमि में अपीलांट का दीगर भाई बहनो के साथ समभाग से हक एवं अधिकार तथा हिस्सा निहित था तथा अपीलांट उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार था इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही दावा वादी डिक्री फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीनी रेस्पो० संख्या 1 व प्रतिवादी रेस्पो० संख्या 2 लगायत 6 प्रत्येक को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। वास्तविकता में वादीनी रेस्पो० संख्या 1 कैलाशी बाई व प्रतिवादी रेस्पो० संख्या 2 लगायत 6 का वाद वर्णित आराजी में प्रत्येक का 1/8 हिस्सा दर्ज था। माता श्रीमती फूला बाई का स्वर्गवास होने से उनका 1/8 हिस्सा उनके चार पुत्र व तीन पुत्रियो अर्थात कुल 7 वारिसान में समभाग से विभक्त किये जाने पर प्रत्येक को 1/56 हिस्सा पृथक से प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपीलांट का उक्त आराजी में 1/56 हिस्सा निहित है तथा वादीनी रेस्पो० संख्या 1 व

प्रतिवादी रेस्पो० संख्या 2 लगायत 6 प्रत्येक का उक्त आराजी में (1/8 + 1/56=1/7 हिस्सा) 1/7 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी रेस्पो० संख्या 7 मसरूल खरीददार की हैसियत से उसके 1/8 हिस्से तक सीमित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को विधि सम्मत तरीके से अपीलांट का 1/56 हिस्सा तथा वादीनी रेस्पो० संख्या 1 व प्रतिवादी रेस्पो० संख्या 2 लगायत 6 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा निर्धारित कर उसी अनुरूप प्रारम्भिक डिक्री पारित करनी चाहिये थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने खिलाफ कानून जाकर निर्णय व डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अपीलांट का वाद वर्णित आराजी में हक एवं अधिकार तथा 1/56 हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय व डिक्री से अपीलांट के हित प्रभावित हुये हैं। इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री से पीडित होने के कारण अपीलांट यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान फरमाई जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय सादिर फरमाने की कृपा करें। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजी में अपीलांट के हक व हिस्से का निर्धारण नहीं किया है तथा वादीनी कैलाशी बाई व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 भैरूलाल, पप्पूलाल, दुर्गालाल, भरोसी बाई, जमना बाई के हिस्सो का भी प्रत्येक का 1/7 हिस्से के स्थान पर प्रत्येक का 1/6 हिस्सा गलत रूप से निर्धारित किया है जो काबिज दुरूस्ती है। इस हेतु पुनः अपीलांट को आवश्यक पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाकर पुनः उपरोक्तानुसार हिस्सो के पुनः निर्धारण हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं विधि संगत है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2025 निरस्त किए जाने तथा पुनः अपीलांट को आवश्यक पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाकर पुनः उपरोक्तानुसार हिस्सो के पुनः निर्धारण हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी में 1/8 हिस्सा निहित है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी में निहित सम्पूर्ण हिस्से का बेचान किया जा चुका है। वादग्रस्त आराजी के किसी भी भू–भाग पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है। वादग्रस्त आराजी में निहित स्वयं के सम्पूर्ण हिस्से को बेचान करने के पश्चात अपीलांट वादग्रस्त आराजी में अपने हक अधिकारों को समाप्त कर चुका है। सयुंक्त खातेदारी की भूमि में विभाजन के वाद में केवल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सहखातेदारों को ही पक्षकारान बनाया जाता है। चूंकि अपीलांट द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को विक्रय किया जा चुका है अतः वर्तमान में अपीलांट वादग्रस्त आराजी का खातेदार नहीं होने से उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार कायम नहीं किया गया है। अपीलांट ने प्रश्नगत अपील फूलां बाई के वारिस होने की हैसियत से पैश की है। यदि अपीलांट फूला बाई के वारिस की हैसियत से वादग्रस्त आराजी में अपना हक अधिकार निहित होना मानता है तो वह सक्षम न्यायालय में पृथक से वाद प्रस्तुत करके अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक

04.03.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 ने अपनी बहस में अपील अपीलांट स्वीकार किए जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में निहित भंवरलाल के हिस्से को रेस्पोडेन्ट संख्या 7 द्वारा भंवरलाल से पंजीकृत विक्रय–पत्र से खरीद किया गया है। खरीद दिनांक से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 7 वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। पंजीकृत विक्रय–पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत होकर वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 वादग्रस्त आराजी में 1/8 हिस्से का सहखातेदार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 अपने खाते व हिस्से की भूमि का विभाजन करवाकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के हक हिस्से तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने एवं तदनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2025 पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के हक अधिकारों के विरूद्ध अपीलांट वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

11. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत करते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उसकी माता फूलां बाई के खाते की भूमि है जिसमें अपीलांट का हक अधिकार निहित है। अतः हमारे मत में अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2025 से प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होता है। अतः अपीलांट की

ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट का कथन है कि अपीलांट की माता फूलांबाई की मृत्यु वाद प्रस्तुत किए जाने से पूर्व ही हो चूकी थी। वादपत्र में वादी ने रामचन्द्र का सजरा परिवार अंकित किया है जिसमें रामचन्द्र मृतक की पुत्री फूला बाई के मृतक होने का अंकन किया गया है। अतः हमारे मत में अपीलांट की माता फूला बाई की मृत्यु अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने से पूर्व ही होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 में नामान्तरकरण संख्या 803 दिनांक 11.10.2012 विरासत से वादग्रस्त आराजी अपीलांट भंवरलाल उसकी माता फूलीबाई एवं रामचन्द्र के अन्य वारिसान के नाम दर्ज होने का अंकन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने के पूर्व ही फूलांबाई के मृतक होने तथा भंवरलाल का मृतक फूला बाई का पुत्र होने का तथ्य वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के संज्ञान में आ चुका था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को मृतक फूला बाई का विधिक वारिस होने के कारण प्रकरण में पक्षकार कायम किया जाना कानूनन आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार कायम किए बिना एवं अपीलांट को सुने बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2025 पारित की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांट का फूलां बाई का वारिस होने की हैसियत से फूलां बाई के हिस्से की भूमि में हक अधिकार निहित है अतः अपीलांट को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार कायम किया जाकर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही किसी न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

12. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 23/2016 (gcms no. 2016/00134) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2025 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार कायम करें तथा

साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.08.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

14. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा